अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)
आवेदन फॉर्म (केवल वैयक्तिकों के लिए)

आवेदन सं.:

कृपया अंग्रेजी में और ब्लॉक अक्षरों में काले रंग की स्याही से भरें.

ए. पहचान का विवरण (कृपया पीछे के पृष्ठ पर दिशानिर्देश देखें)

1.आवेदक का नाम (पहचान संबंधी सहायक दस्तावेजों में दर्शाए गए अनुसार)

नाम

पिता/पति या पत्नी का नाम'

फोटोग्राफ

कृपया नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाएँ और उस पर हस्ताक्षर करें

2. लिंग ☐ पुरुष ☐ महिला **बी. वैवाहिक स्थिति** ☐ अविवाहित ☐ विवाहित **सी. जन्मतिथि** __ __ / __ __ / __ __ __ __

3. राष्ट्रीयता ☐ भारतीय ☐ अन्य ....

4. स्थिति कृपया टिक (✓) करें ☐ **निवासी वैयक्तिक** ☐ **गैर-वैयक्तिक** ☐ **विदेशी नागरिक** (अनिवासी भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों के लिए अनिवार्य है)

5. पैन कृपया अपने पैन की विधिवत रूप से सत्यापित प्रति संलग्न करें

विशेष पहचान संख्या (यूआईडी)/ आधार, यदि कोई हो: ....

6. पैन से छूट प्राप्त मामलों के लिए प्रस्तुत पहचान प्रमाण. कृपया टिक (✓) करें

☐ यूआईडी (आधार) ☐ पासपोर्ट ☐ मतदाता पहचान पत्र ☐ ड्राइविंग लाइसेंस ☐ अन्य ....((कृपया पीछे के पृष्ठ पर दिशानिर्देश देखें)

बी. पते का विवरण (कृपया पीछे के पृष्ठ पर दिशानिर्देश देखें)

1. **पत्राचार का विवरण**

शहर/टाउन/गाँव | पिन

राज्य | देश

2. **संपर्क का विवरण**

दूरभाष (का.)	आईएसडी	एसटीडी	दूरभाष (आवासीय)	आईएसडी	एसटीडी
मोबाइल	आईएसडी	एसटीडी	फैक्स	आईएसडी	एसटीडी
ई-मेल					

3. **आवेदक द्वारा प्रदान किए जाने वाले पते के प्रमाण. कृपया निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज़ को प्रस्तुत करें एवं संलग्न दस्तावेजों के सामने टिक करें (✓)**

☐ पासपोर्ट ☐ राशन कार्ड ☐ आवास का पंजीकृत पट्टा/ बिक्री करार ☐ ड्राइविंग लाइसेंस ☐ मतदाता पहचान पत्र ☐ *नवीनतम बैंक खाता विवरणी/पासबुक

☐ *नवीनतम टेलीफोन बिल (केवल लैंड लाइन) ☐ *नवीनतम बिजली का बिल ☐ *नवीनतम गैस बिल ☐ अन्य ....

*3 माह से अधिक पुराना न हो. **प्रस्तुत पते के प्रमाण की वैधता/समाप्ति की तारीख** ति थि / मा ह / वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष

4. आवेदक के निवास का स्थायी पता, यदि उपर्युक्त बी 1 से अलग है अथवा गैर-निवासी आवेदकों के लिए विदेशी पता (अनिवार्य) है.

शहर/टाउन/गाँव | पिन

राज्य | देश

5. **आवेदक द्वारा प्रदान किए जाने वाले पते के प्रमाण. कृपया निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज़ को प्रस्तुत करें एवं संलग्न दस्तावेजों के सामने टिक करें (✓)**

☐ पासपोर्ट ☐ राशन कार्ड ☐ आवास का पंजीकृत पट्टा/ बिक्री करार ☐ ड्राइविंग लाइसेंस ☐ मतदाता पहचान पत्र ☐ *नवीनतम बैंक खाता विवरणी/पासबुक

☐ नवीनतम टेलीफोन बिल (केवल लैंड लाइन) ☐ *नवीनतम बिजली का बिल ☐ *नवीनतम गैस बिल ☐ अन्य ....

*3 माह से अधिक पुराना न हो. **प्रस्तुत पते के प्रमाण की वैधता/समाप्ति की तारीख** ति थि / मा ह / वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष

सी. अन्य विवरण (कृपया पीछे के पृष्ठ पर दिशानिर्देश देखें)

1. **सकल वार्षिक आय का विवरण** (कृपया टिक (✓) करें): ☐ **1 लाख से कम** ☐ **1-5 लाख** ☐ **5-10 लाख** ☐ **10-25 लाख** ☐ **> 25 लाख**

अथवा

दिनांक ति थि / मा ह / वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष **को निवल आय रुपए में** (*निवल आय 1 वर्ष से अधिक की न हो)..............................

2. व्यवसाय (कृपया किसी एक पर टिक (✓) करें और संक्षिप्त विवरण दें):

☐ निजी क्षेत्र सेवा ☐ सार्वजनिक क्षेत्र ☐ सरकारी सेवा ☐ व्यवसाय ☐ पेशेवर ☐ कृषक ☐ सेवानिवृत्त ☐ गृहिणी

☐ विद्यार्थी ☐ विदेशी मुद्रा डीलर ☐ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)..............................

3. कृपया टिक करें, यदि लागू हो: ☐ राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति ☐ राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति

पीईपी की परिभाषा के लिए कृपया पीछे के पृष्ठ पर दिए गए दिशानिर्देशों का संदर्भ लें.

4. कोई अन्य जानकारी: :..............................

घोषणा

मैं एतदद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त प्रस्तुत विवरण मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार पूर्णत: सत्य एवं सही हैं तथा मैं/हम इसमें किसी प्रकार का बदलाव होने पर तत्काल सूचित करने का वचन देता/देती हूँ/देते हैं. यदि उपर्युक्त सूचना किसी प्रकार से गलत या असत्य या भ्रामक या गलत ढंग से प्रस्तुत की गयी पायी जाती है तो मुझे/हमें यह ज्ञात है कि मैं/ हम इसके लिए जिम्मेदार होंगे.

स्थान ______ तारीख ______

आवेदक के हस्ताक्षर

केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए

आईपीवी ☐ को किया ति थि / मा ह / वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष

एएमसी/ मध्यस्थी नाम **अथवा** कोड

☐ (सत्यापित मूल प्रति) स्वप्रमाणित दस्तावेज़ की प्रतिलिपि प्राप्त

☐ (प्रमाणित) दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त

मुख्य मध्यस्थी

मध्यस्थ का सील/स्टैम्प
स्टाफ के नाम
पदनाम
संस्था के नाम
हस्ताक्षर
दिनांक
से युक्त होना चाहिए

मध्यस्थ का सील/स्टैम्प
स्टाफ के नाम
पदनाम
संस्था के नाम
हस्ताक्षर
दिनांक
से युक्त होना चाहिए

केवाईसी फॉर्म भरने हेतु निर्देश/ जांच बिंदु

ए. महत्वपूर्ण बिंदु:

1. सभी ग्राहकों के लिए पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्य है.
2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की प्रतियां स्वप्रमाणित एवं सत्यापन हेतु मूल प्रति के साथ होनी चाहिए. यदि किसी दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं की जाती है तो येप्रतियां नीचे उल्लिखित सूची के अनुसार दस्तावेजों को प्रमाणित करने हेतु प्राधिकृत संस्थाओं द्वारा समुचित ढंग से प्रमाणित की गई होनी चाहिए.
3. यदि पहचान या पते का कोई प्रमाण किसी विदेशी भाषा में है तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद आवश्यक है.
4. केवाईसी फॉर्म पर उल्लिखित आवेदक का नाम एवं पता प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी प्रमाण के साथ मेल खाना चाहिए.
5. यदि पत्राचार एवं स्थाई पता अलग-अलग है तो दोनों के लिए प्रमाण प्रस्तुत करना होगा.
6. एकल स्वामित्व को अपने व्यक्तिगत नाम एवं क्षमता में आवेदन करना होगा.
7. अनिवासी एवं विदेशी नागरिकों के लिए (व्यापार की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक और फेमा के दिशानिर्देशों के अधीन है) पासपोर्ट/पीआईओ कार्ड/ ओसीआई कार्ड की प्रतिलिपि एवं विदेशी पते का प्रमाण अनिवार्य है.
8. विदेशी संस्थाओं के लिए सीआईएल संख्या वैकल्पिक है तथा निदेशकों के लिए डीआईएन संख्या के अभाव में अपने पासपोर्ट की प्रतिलिपि दी जानी चाहिए.
9. अनिवासी भारतीय के व्यापारी जहाज के मामले में जहाजी का घोषणा पत्र अथवा सीडीसी (निरंतर डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र) प्रस्तुत किया जाना चाहिए.
10. डिपॉजिटरी प्रतिभागी अथवा म्यूचुअल फंड के साथ कोई खाता खोलने हेतु अवयस्क के लिए स्कूल छोड़ने के प्रमा पत्र/ उच्चतर माध्यमिक बोर्ड द्वारा जारी मार्कशीट/ अवयस्क का पासपोर्ट/ जन्म प्रमाणपत्र अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए.
11. जो राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति हैं अथवा जिन्हें किसी विदेशी देश में विशेष लोक कार्य सौंपा गया है अर्थात सरकारी अथवा राज्य के प्रमुखों, वरिष्ठ राजनेताओं, वरिष्ठ सरकारी/ न्यायिक/ मिलिट्री अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाली निगमों के वरिष्ठ कार्यपालक, महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी के अधिकारी आदि वैयक्तिक के रूप में परिभाषित किए जाते हैं.

बी. पहचान के प्रमाण (पीओआई): पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची:

1. फोटोग्राफ युक्त पैन कार्ड. विशेष रूप से जिनसे पैन प्राप्त करने की छूट प्राप्त है उन्हें छोड़कर सभी आवेदकों के लिए यह एक अनिवार्य आवश्यकता है (अनुभाग डी में सूचीबद्ध हैं)
2. विशेष पहचान संख्या (यूआईडी) (आधार)/ पासपोर्ट/ मतदाता पहचान पत्र/ ड्राइविंग लाइसेंस.
3. निम्नलिखित में से किसी के द्वारा जारी किया गया आवेदक का फोटो युक्त पहचानपत्र/दस्तावेज: केंद्र / राज्य सरकार और इसके विभागों, सांविधिक /विनियामक प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों, आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूएआई, आइसीएसाई, बार काउंसिल आदि उनके सदस्यों; जैसे पेशेवर निकायों एवं बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड /डेबिट कार्ड.

सी. पते का प्रमाण (पीओए): पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची: (* समाप्ति की तारीख से युक्त दस्तावेज प्रस्तुतीकरण की तारीख पर वैध होने चाहिए)

1. पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/ पंजीकृत पट्टा अथवा निवास का विक्रय करार/ ड्राइविंग लाइसेंस/ फ्लैट रखरखाव का बिल/ बीमा की प्रतिलिपि
2. यूटिलिटी बिल जैसे- टेलीफोन बिल (केवल लैंडलाइन का), बिजली का बिल, या गैस का बिल- 3 महीने से अधिक पुराना ना हो.
3. बैंक खाता विवरणी/ पासबुक- 3 महीने से अधिक पुराना न हो.
4. उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा स्वयं अपने खातों के संबंध में नए पते को देने के लिए स्व घोषणा पत्र.
5. निम्नलिखित में से किसी के द्वारा जारी किए गए पते का प्रमाण: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/ अनुसूचित को-ऑपरेटिव बैंक/ बहुराष्ट्रीय विदेशी बैंकों/ राजपत्रित अधिकारी/ नोटरी पब्लिक/विधानसभा/संसद के चयनित प्रतिनिधियों/किसी सरकारी अथवा सांविधिक प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दस्तावेज.
6. निम्नलिखित में से किसी के द्वारा जारी किए गए पता युक्त पहचान पत्र/दस्तावेज: केंद्र/ राज्य सरकार और इसके विभागों, सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों और आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूएआई, आईसीएसआई, बार काउंसिल आदि जैसे पेशेवर निकायों द्वारा उनके सदस्यों को जारी किए गए.
7. एफ़आईआई/ सब-अकाउंत के लिए एफ़आईआई/ सब –अकाउंट द्वारा संरक्षक को दिए गए मुख्तारनामा (जो विधिवत रूप से नोटरीकृत और/ या टिप्पणीकृत या कॉन्स्युलराइज्ड हो) जिसमें पंजीकृत पता हो, लिया जाए.
8. पति या पत्नी के नाम से संबंधित पते का प्रमाण भी स्वीकार किया जा सकता है.

डी. पैन के लिए रियायतें/ स्पष्टीकरण

(* ऐसे दावों के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण एकत्र किए जाए)

1. केंद्र सरकार और/अथवा राज्य सरकार तथा न्यायालयों द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी अर्थात् आधिकारिक परिसमापक, न्यायालय के रिसीवर आदि की तरफ से लेन-देन किए जाने के मामलों में.
2. सिक्किम राज्य में रहने वाले निवेशकों.
3. भारत में कर भुगतान करने/ कर रिटर्न फाइल करने से छूट प्राप्त यूएन संस्थाओं/ बहुपक्षीय एजेंसियों.
4. प्रतिवर्ष रु. 50,000/- तक के म्यूच्यूअल फंड की एसआईपी.
5. एफआईआई, एमएफ, वीसीएफ, एफवीसीआई, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय विकास वित्तीय संस्थानों, राज्य औद्योगिक विकास कॉरपोरेशन, आईआरडीए के साथ पंजीकृत और कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 4 ए के अंतर्गत सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में परिभाषित बीमा कंपनियों के मामलों में, संरक्षक मूल पैन कार्ड के साथ पैन कार्ड के विवरण का सत्यापन करेगा तथा मध्यस्थता के लिए ऐसे सत्यापित पैन विवरणों की विधिवत रूप से प्रमाणित प्रतियां प्रदान करेगा.

ई. दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत लोगों की सूची :

1. नोटरी पब्लिक, राजपत्रित अधिकारी, अनुसूचित वाणिज्यिक/ को-ऑपरेटिव बैंक अथवा बहुराष्ट्रीय विदेशी बैंकों के प्रबंधक (प्रतिलिपि पर नाम पदनाम एवं सील लगी होनी चाहिए).
2. अनिवासी भारतीयों के मामले में भारत में पंजीकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकारियों, नोटरी पब्लिक, न्यायालय के मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, जहां ग्राहक रहता है उस देश के भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास के जनरल को दस्तावेजों को प्रमाणित करने की अनुमति है.